



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1947 (श10)

(सं० पटना 1571) पटना, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025

सं० ए0/ए0बी0-02/2025/6376/जे0

विधि विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर 2025

विषय:- बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
वर्तमान में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा सदस्य अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त हैं; जिसके कारण बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति तैयार किया जाना समीचीन है।

2. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु निम्नवत् समग्र नीति की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात् Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 03 (तीन) वर्ष तक 5,000/- (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से Stipend निम्न शर्तों का अनुपालन करते हुए दिया जायेगा :-

- बिहार स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत (Enrolled) होना चाहिए।
- बिहार राज्य के किसी भी अधिवक्ता संघ का सदस्य होना चाहिये तथा अधिवक्ता संघ द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि ये व्यावहारिक रूप से वर्तमान में सक्रिय विधि व्यवसायी (Active Legal Practitioner) हैं।
- संदर्भित राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी तथा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति उक्त शर्तों के अध्याधीन इस हेतु सुयोग्य पात्र का चयन करेगा एवं राशि का भुगतान करेगा।

(ख) राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किये जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये की एकमुश्त सहायता बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी।

इस कंडिका-2 (क) एवं (ख) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा विधि विभाग, बिहार एवं वित्त विभाग, बिहार की सहमति से जारी किया जायेगा।

3. बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।
4. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य आय से नीचे के आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सीय सहायता प्रदान किये जाने के बिन्दु पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।
5. राज्य के प्रत्येक अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंग टॉयलेट की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1571-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>